राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील / निगरानी सं. 36/2007. जिला अलवर

उनवान श्रीमती ब्रजकेश पत्नी विजेन्द्र चौधरी बनाम राजस्थान सरकार, अलवर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज श्री मोहनलाल नेहरा, सदस्य	नम्बर व तारीख अहमकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
14.10.2015		

उभय पक्ष की बहस सुनने के उपरान्त हमने पत्रावली का अवलोकन किया। मूलतः यह निगरानी जिला पंजीयक, अलवर के आदेश दिनांक 12.06.2006 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। जिला पंजीयक, अलवर ने उक्त आदेश से प्रार्थी द्वारा उपपंजीयक, अलवर के समक्ष दिनांक 17.03.1999 को प्रस्तुत एक पंजीयन दस्तावेज के पंजीकरण से इनकार के आदेश को उचित ठहराया था।

प्रस्तुत निगरानी राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 की धारा 65 के तहत प्रस्तुत की गयी है जबकि जिला पंजीयक, अलवर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.06.2006 पंजीयन अधिनियम 1908 की धारा 72 के तहत पारित है। पंजीयन अधिनियम 1908 के सारभूत सम्बन्धित प्रावधानों का उद्धरण निम्न प्रकार से है: —

PART XII

OF REFUSAL TO REGISTER

Sec. 72 :- Appeal to Registrar from orders of Sub-Registrar refusing registration on the ground other than denial of execution: (1) "Except where the refusal is made on the ground of denial of execution, an appeal shall lie against an order of a Sub-Registrar refusing to admit a document to registration (whether the registration of such document is compulsory or optimal) to the Registrar to whom such sub-Registrar is subordinate,"

Sec. - 76 :- Order of refusal by Registrar :— (1) Every Registrar refusing: - - - - -

(2) No appeal lies from any order by a Registrar under this section or section 72.

Sec. 77 ; Suit in case of order of refusal by Registrar :— (1) Wher the registrar refuses to order the document to be registered, under section 72 or section 76, any person claiming under such document . . . . . a suit for a decree directing the document to be registered - - - . . - .

CONTD - P/O

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील / निगरानी सं. 36/2007 जिला अलवर

उनवान श्रीमती ब्रजकेश पत्नी श्री विजेन्द्र चौधरी बनाम राजस्थान सरकार, अलवर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
14.10.15	उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि जिला पंजीयक द्वारा पंजीयन अधिनियम 1908 की धारा 72 के तहत पारित आदेश की अपील प्रस्तुत करने के प्रावधान अधिनियम में नहीं है। इस हेतु प्रभावित पक्ष सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकता है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने यह निगरानी राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 की धारा 65 के तहत प्रस्तुत की है, जो सुनने हेतु ग्रहण करने योग्य ही नहीं है। अतः प्रस्तुत निगरानी इसी स्तर पर अस्वीकार कर खारिज की जाती है। निर्णय सुनाया गया। (हस्ताक्षर) 14/10/2015 **सदस्य** **राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर**	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील / निगरानी सं. 45/11 .... जिला ....

उनवान

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
24.9.15	**एकल पीठ** **श्री मदन लाल – सदस्य** विभागीय प्रतिनिधि ~~उपस्थित~~ । वकील व्यवसायी........ ~~उपस्थित~~ अनुपस्थित । पत्रावली पेश हुई । प्रार्थी अप्रार्थी समय चाहते है । मिसल दिनांक 9.10.15 को एकलपीठ के समक्ष ~~कैम्प जयपुर~~ पेश हो । सदस्य राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर	
9.10.15	**श्री बी. के. मीणा, अध्यक्ष** विभागीय प्रतिनिधि [illegible] वकील व्यवसायी SVm [illegible] [illegible] पेश हुई । प्रार्थी/अप्रार्थी ~~उपस्थित~~/अनुपस्थित [illegible] समय चाहते है । मिसल दिनांक 14.10.15 को एकलपीठ के समक्ष ~~कैम्प जयपुर~~ पेश हो । अध्यक्ष राजस्थान कर बोर्ड अजमेर SB	
14.10.15	**श्री मोहनलाल नेहरा, सदस्य** वकील व्यवसायी श्री सुमित जैन, उप. एव राजस्व की ओर से श्री आर.के. अजमेरा DCA उपस्थित । रैस्टोरेशन का पत्र पर उभय पक्षों की बहस सुनी गयी । रैस्टोरेशन का पत्र को स्वीकार किया जाकर मूल निगरानी सं. 36/2007 को पुनः नम्बर पर लिया गया । मूल निगरानी आज दि. 14.10.15 को एकलपीठ को समक्ष नियत हो । सदस्य राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर	